न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह , आर.ए.एस.

मुकदमां नम्बर :– 30/2016 निर्णय दिनांक :– 11.02.2017

1. छितरमल पुत्र मरलीधर जाति यादव निवासी समदड़ी की ढाणी सांवत का बार तह. रेनवाल

2. संतोष कुमार पुत्र छितरमल जाति यादव निवासी समदड़ी की ढाणी सांवत का बार तह. रेनवाल

............वादीगण

बनाम

1. अरूणकुमार पुत्र कैलाशचन्द जाति ब्राहम्ण सा. फुलेरा
2. रतनाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी जाबदीनगर फौत के कायम मुकामन
   2/1 केशाराम पुत्र रतनाराम जाट निवासी जाबदीनगर
   2/2 तलसीदेवी पुत्र रतनाराम जाट निवासी जाबदीनगर
   2/3 अशोक पुत्र तिलोकराम जाट निवासी जाबदीनगर
   2/4 धर्मेन्द्र पुत्र तिलोकराम जाट निवासी जाबदीनगर
   2/5 ग्यारसीदेवी पत्नी तिलोकराम जाट निवासी जाबदीनगर
3. गणपतलाल पुत्र मोहरीलाल जाति गोयल सा. सांभर
4. विष्णुकुमार पुत्र गणपतलाल जाति गायेल सा. सांभर
5. सोनीदेवी पत्नी पोकरराम जाति जाट सा. जाबदीनकर
6. शिवरतन पुत्र हरनारायण जाति पुरोहित सा. फलोदी
7. राजेशकुमार पुत्र मोहनलाल जाति रावता सा. मन्डाभीमसिंह तह. फुलेरा
8. जयकुमार पुत्र गम्भीरमल जाति जैन सा. भादवा तह. फुलेरा
9. शरदकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति मंत्री सा. साभंर
10. कृष्णगोपाल पुत्र दामोदरलाल जाति जोशी सा. साभंर
11. भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट सा. त्योद तह. सांभर
12. रामेश्वर पुत्र नाथूराम जाति जाट सा. सौलाया
13. मोहनलाल पुत्र बेणाराम जाति जाट सा. महाराजपुरा
14. लालाराम पुत्र लादूराम जाति जाट सा. पीपराली
15. हरदेवाराम पुत्र भैरूबक्ष जाति जाट सा. भगवानपुरा
16. गणेशनारायण पुत्र हरदेवाराम जाति जाट सा. भगवानपुरा
17. गोपालराम पुत्र हरदेवाराम जाति जाट सा. भगवानपुरा
18. चन्द्राराम पुत्र लालाराम जाति जाट सा. जाबदीनगर
19. सुखाराम पुत्र लालाराम जाति जाट सा. जाबदीनगर
20. भंवरलाल पुत्र नन्दाराम जाति जाट सा. जाबदीनगर
21. औमप्रकाश पुत्र रामरतन जाति ब्राहम्ण सा. नांवा

22. मानाराम पुत्र देवाराम जाति जाट सा. गवारिया
23. धन्नीदेवी पत्नी श्यामसुन्दर जाति जाट सा. राजास
24. पप्पूराम पुत्र जमनालाल जाति जाट सा. राजास
25. सुरेश पुत्र जमनालाल जाति जाट सा. सा. राजास
26. पेमाराम पुत्र जमानालाल जाति जाट सा. राजास
27. लालाराम पुत्र हनुमान जाति जाट सा. राजास
28. श्यामलाल पुत्र हनुमान जाति जाट सा. राजास
29. किशनीदेवी पत्नी हनुमान जाति जाट सा. राजास
30. रामकरण पुत्र भंवरलाल जाति जाट सा. जाबदीनगर
31. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नांवा

.............प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं बंटवारा

उपस्थित :– श्री हनुमानाराम वकील वादीगण
श्री राजेश कुमार गुर्जर वकील प्रतिवादी 11 से 14

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम राजास के खसरा नम्बर 163 रकबा 1.07 में से पश्चिमी तरफ 0.50 हैक्टयर व 164, 551/165, 196, 197, 342, कुल रकबा 5–3750 हैक्टयर भूमि में 1.78 हैक्टयर भूमि के वादीगण रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार हैं उक्त सम्पूर्ण आराजीयत वादीगण व प्रतिवादगीण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं जिनके बीच 15 वर्ष पूर्व वादीगण मौके पर भौतिक रूप से बंटवारा कर अलग काबिज काश्त हैं जिसके मुताबिक वादीगण खसरा नम्बर 163 रकबा 1.07 हैक्टयर में पश्चिमी तरफ की 0.50 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 551/165 रकबा 1.99 हैक्टयर भूमि में से पश्चिमी तरफ 1.78 है भूमि पर काबिज काश्त हैं शेष भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है। वादीगण की भूमि 0.50 व 1.78 कुल रकबा 2.28 हैक्टयर भूमि एक ही चक में हैं इस सम्बन्ध में वादीगण ने प्रतिवादीगण को भूमि का सहमति से बंटवारा करवाने कहां तो उनके द्वारा इंकार कर दिया उक्त भूमि को लेकर पक्षकारो में कोई विवाद नहीं हो, इस लिऐ भूमि का बंटवारा करवाना आवश्यक हो गया हैं जिससे मजबुरन वाद पेश कर वादीगण ने ग्राम राजास के खसरा नम्बर 163 रकबा 1.07 हैक्टयर में से पश्चिमी तरफ कि 0.50 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 551/165 रकबा 1.99 में से पश्चिमी तरफ कि 1.78 हैक्टयर कुल 2.28 हैक्टयर भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा कर अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 11 से 14 की ओर वकील श्री राजेश कुमार गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया हैं प्रतिवादी 4, 8, 22 के सम्मन व्यक्तिगत रूप से तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई शेष प्रतिवादीगण के

11/7/17
अधिकारी,

सम्मन अदम तामील प्राप्त होने पर पुनः सम्मन पेश किऐ इस बार आबाद मकान पर चस्पा किऐ जाने के बावजूद अनुपस्थित रहे तत्पश्चात प्रतिवादीगण के सम्मन वकील वादी के निवेदन पर अखबार में प्रकाशित करवाऐ गऐ जिसके सम्मन अखबार में प्रकाशित करवाने के एक माह बाद भी प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। साक्ष्य वादी में वादीगण स्वंय एवं गवाह आलोक, विष्णू गोयल जो प्रतिवादी 4 स्वंय हैं के शपथ पत्र पेश किऐ ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बन्द की जाकर वकुलाय की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। तत्पश्चात वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नांवा से बंटवारा प्रस्ताव पेश हुआ हैं, तत्पश्चात प्रतिवादी 11 से 14 की ओर से उपस्थिति अधिवक्ता श्री राजेश गुर्जर ने निवेदन किया गया हैं उरोक्त विवादित आराजीयत में हम प्रतिवादी ने तत्कालिन खातेदार गजेन्द्रसिंह पुत्र धन्नालाल जाति जैन से उसके हक हिस्से की भूमि 0.16 हक्टयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचान खरीद कर खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली हैं वादीगण के वाद बाबत हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं लेकिन हम प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन हैं कि उपरोक्त विवादित आराजीयत में हम प्रतिवादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त सुदा भूमि रकबा 0.16 हैक्टयर का भी वादीगण के साथ बाई मिट्स एण्ड बाउ॰॰ड बंटवारा कर अलग होल्डिंग कायम की जावे। बंटवारा प्रस्ताव एवं प्रतिवादी 11 से 14 के काउन्टर क्लेम को वकील वादी ने स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव एवं प्रतिवादी 11 से 14 के काउण्टर क्लेम के अनुसार खातेदारी घोषणा की जाकर बंटवारा कर अलग होल्डिंग कायम की जाती हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उभय पक्षकारान के अधिवक्ता ने सहमति से वादीगण व प्रतिवादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जावे। दोनों पक्षों की सहमति से पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत की गई।

अतः वादीगण का वाद व प्रतिवादी 11 से 14 का काउण्टर क्लेम लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर वाद इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम राजास के खसरा नम्बर 163 रकबा 1.07 हैक्टयर में से पश्चिमी तरफ 0.50 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 164, 551/165, 196, 197 कुल रकबा 5.37 हैक्टयर में केवल खसरा नम्बर 551/165 रकबा 1.99 हैक्टयर में से पश्चिमी तरफ 1.78 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है, तथा 0.16 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी 11 से 14 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं शेष भूमि खातेदारो की खातेदारी में यथावत रहेगी। तदनुसार वादीगण व प्रतिवादी 11 से 14 की भूमि का मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार अलग होल्डिंग कायम की जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। नियमानुसार स्टाम्प डुयुटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

11/2/17

(एस.एम.शाह)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी नांवा

नांवा (नागौर)